

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज

पत्रांक...2402 370 फारबिसगंज, दिनांक...20/7/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज

सेवामें,

नोडल पदाधिकारी
STATE MIS
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- STATE MIS पर योजना शीर्ष NDB BRICS में पुल Add करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि STATE MIS पर योजना शीर्ष NDB BRICS में सिमरबनी धर्मानंद मंडल टोला से गंगा ऋषिदेव टोला पथ में पुल Add नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त पथ में पुल Add करवाने की कृपा की जाय।

अनु0- विभागीय पत्रांक-BRRDA(HQ)MMGSY(NDB) 242/19 1350 / पटना दिनांक-06.12.19

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज

20/7/2022

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— BRRDA(HQ) MMGSY(NDB) 242/19 1350 /पटना, दिनांक— 6-12-19

प्रेषक,

संजय कुमार भा0प्र0से0
अपर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : मुख्यशीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—103—ग्राम विकास, समूह शीर्ष—राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष—0519—मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित], जिसका विपत्र कोड संख्या—37— 4515— 00— 103— 0519 है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित] के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए निम्नलिखित योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु अलग—अलग योजनाओं के लिए पथवार/पुलवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

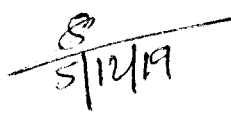
महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत [NDB(BRICS) सम्पोषित] वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए पथ निर्माण की कुल 08 अदद योजनाओं के निर्माण एवं इनके पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ—11 में पथ एवं पुल के लिए अंकित प्राक्कलित राशि के अनुसार स्तम्भ—12 में अंकित परियोजनावार तकनीकी अनुमोदन की राशि के अनुरूप प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

तालिका

Sl No.	District	Division	Block	Habitation	Population	Road From	Road To	State Link No	Length as per DPR (In km)	Estimated Cost (In Laes)	Total Administrative Approval Amount (In Laes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Araria	Forbesganj	Raniganj	कालबलुआ द0 प0 संधानी टोला	454	Kala Baluva Tola	santhali Tola Sisodhar	S112	2.550	209.902	513.10
						H.L Bridge 62.52M				303.202	
2	Araria	Forbesganj	Bhargama	गंगा ऋषिदेव टोला	894	Semarbani Dharmanand Mandal Tola	Ganga residev Tola	S07	2.200	198.640	536.82
						H L Bridge 55.92M				338.180	





Sl No.	District	Division	Block	Habitation	Population	Road From	Road To	State Link No	Length as per DPR (In km)	Estimated Cost (In Laes)	Total Administrative Approval Amount (In Laes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Araria	Forbesganj	Raniganj	छोटी रामपुर	1100	Araria Raniganj Path	Chhoti Rampur	S08	4.965	440.610	689.32
						With Bridge 41.68M				248.714	
4	Araria	Forbesganj	Raniganj	मेहता टोला	257	Barhara Chowk	to Shiv Mandir Tola	S079	2.1	138.855	652.08
						With Bridge 33.68M				513.225	
5	Purnia	Dhamdaha	Barhara Kothi	ढढकोलवा	1790	TO1	Dhadkolwa Halalpur PMGSY road	T01	5.4	614.45	614.450
6	Purnia	Dhamdaha	Barhara Kothi	गोहाल टोला	701	BHOTIYA PMGSY	GOHAL TOLA	S02	3.85	793.82	793.820
7	Purnia	Dhamdaha	Barhara Kothi	भंगहा तुला	1254	L024	BHANGHA TOLA	S017	5.35	518.00	518.000
8	Madhepura	Madhepura	KumarKhand	चण्डी स्थान	516	Sikarpatti Pakki Sarak	Chandi Sthan To Kashipur Murliganj	S040	8.5	668.53	668.530
Total					6512	8			34.915	4986.128	4986.120

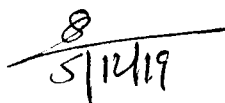
2. माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक:-05.11.2019 को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

- उक्त योजनाओं को वित्तीय वर्ष, अर्थात् वर्ष 2019-20 एवं 2020-2021 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कराये जाने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।



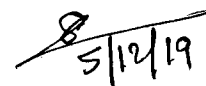
8
5/11/19

- (घ) संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
- (ङ) पथों में प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुलों के DPR की समीक्षा State Technical Agency (STA) से कराये जाने के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया जायेगा।
3. संबंधित कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडलों योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
 4. कार्य की निविदा, ई-निविदा के माध्यम से मुख्यालय द्वारा करायी जायेगी।
 5. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता के जाँच फल के गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा।
 6. कार्यों का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की मार्गदर्शिका एवं NDB से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में किया जायेगा।
 7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त के पूर्व एवं डी0पी0आर0 के साथ Social and Environment से संबंधित प्रपत्र संलग्न कराने की जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता की होगी।
 8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 9. मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-0519-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित], जिसका विपत्र कोड संख्या-37- 4515- 00- 103-0519 है।
- (क) मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित],के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।



- (ख) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि(2), दिनांक-03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों को आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
- (ग) यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
- (घ) प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
- (ङ) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
10. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
11. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 05.11.2019 को संचिका संख्या:-BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-242/19 के पृष्ठ-07/टि0 पर प्राप्त है।
12. इस योजना मद में व्यय, बजट से प्राप्त राशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प संख्या- 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4 में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका संख्या:- BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-242/19 के पृष्ठ-9/टि0 पर दिनांक:- 14.11.19 को विभागीय सचिव के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
- आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-242/19 के पृष्ठ संख्या:- 13/टि0 पर दिनांक:- 3.12.19 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन



सरकार के अपर सचिव



ज्ञापांक: BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-242/19 1350 /पटना, दिनांक- 6.12.19

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपविकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-1, 2, 3, पटना/मुख्य अभियंता-4/संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव